



Hindustan Times, Delhi

Wednesday, 4th March 2020; Page: 20

Width: 5.71 cms; Height: 9.19 cms; a4; ID: 15.2020-03-04.236

NHRC takes suo motu cognisance of Delhi riots

NHRC has taken suo motu cognisance of violence in Delhi and specifically in North-East district, as reported in the media, and directed its Director General (Investigation) to depute two fact finding teams to conduct spot enquiry into allegations of human rights violation due to these incidents.

In order to ensure the safety of its officers in view of the incidents of cross firing during the violent clashes, the commission thought it is appropriate to send them for enquiry when the situation was little under control.



संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

एजेंसी/नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और संशोधित नागरिकता कानून पर सुनवायी में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। हालांकि, भारत ने ओएचसीएचआर के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और देश की सम्प्रभुता से जुड़े मुद्दे पर "किसी विदेशी पक्ष" का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। संयुक्त राष्ट्र

सीएए का विरोध

● **भारत ने दिया करारा
जवाब और कहा यह
हमारा आंतरिक मामला**

मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा है कि सुनवायी में "अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, मानदंडों और मानकों" पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अर्जी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैशलेट जेरिया की ओर से दायर की

गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि वह इस मामले में मानवाधिकारों की रक्षा एवं उसे बढ़ावा देने और उस संबंध में आवश्यक वकालत करने के लिए मिले अधिदेश के आधार पर न्यायमित्र (तीसरे पक्ष) के तौर पर हस्तक्षेप करना चाहती हैं। ओएचसीएचआर ने "कुछ लोगों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ना से बचाने के लिए" सीएए के "घोषित उद्देश्य" का स्वागत किया, लेकिन प्रताड़ित मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का मुद्दा उठाया।